

२०

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500


INDIA NON JUDICIAL

24 SEP 2012

E 086118

Sub. Treasury Sakaldiha
Chandauli

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



सेना झंडा दिवस

सम्मान - 7 DECEMBER
ED FORCES FLAG DAY

विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक ३०/११/२०१२-को संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया हु, निवासी-ग्राम-कैथी, पो-०-गुरेरा, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली (उ०प्र०) द्वारा घादित किया गया, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक/मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष कहा जायेगा। न्यासकर्ता/ संस्थापक रु 5,100/- (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की राशि सामाजिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं। न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि में अप्रति संहरणीय चैरिटेबुल न्यास (Irrevocable Charitable Trust) बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करेगा और यह ट्रस्ट 'विमला चैरिटेबुल ट्रस्ट' के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा, जिसे कि आगे ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा।

न्यासकर्ता/संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से जिसमें दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित हैं, के द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को और बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सकें।

संतोष कुमार सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

14AA 521620

(2)

और क्योंकि न्यासकर्ता/संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल रु 5,100/- (रुपये पाँच हजार एक सौ मात्र) की नगद राशि द्रस्ट को प्रदान की है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई चल-अचल सम्पत्ति न्यास में नहीं है।

और क्योंकि वर्तमान में इस द्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय प्लाट नं० 360, ग्राम-कैथी, पो०-गुरेरा, जिला-चन्दौली (उ०प्र०) रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहभत्ति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

और क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा द्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

विमला चैरिटेबुल द्रस्ट :

उद्देश्य एवं नियमावली :

(A) द्रस्ट के उद्देश्य :-

द्रस्ट निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करेगा-

- पाठशालाओं, विद्यालयों, गहाविद्यालयों, पुस्तकालयों, वाचनालयों, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसंधान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों निराश्रित केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों तथा सामुदायिक विकास केन्द्रों, पर्यावरण, ऐड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध, आबद्ध, प्रबन्ध, संचालन आदि कर सकना तथा आवश्यक होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं स्तरों शासन आदि से उन्हें मान्य, सम्बद्ध, आबद्ध, पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत करा सकना।

भेतोन कुण्ड।